HEAD OFFICE

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board

46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

UTTARAKHAND

UEPPCB

Action Taken Report

Original Application No. 823 of 2019

In compliance of order dated 20.09.2019
of the

Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi

Scanned by CamScanner

Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 823 of 2019

Munna Singh (Applicant)

Vs

State of Uttarakhand (Respondent)

In compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 29.09.019, the inspection is carried out by the official of Regional Office Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Roorkee, Distric-Haridwar on dated 19.11.2019, The inspection report is enclosed as **Annexure-01. According to the inspection report:-**

1. Unit was not in operation as unit was in maintenance.
2. Water sprinklers are found on conveyor belts but not installed on crushing equipments. Crushing & screening equipment were not under covered shed.
3. Wind breaking wall on two sides was found, however wind-breaking wall are not adequate.
4. unit has not provided metalled roads within premises and also not provided any facility for cleaning and wetting of ground within the premises.
5. Single raw plantation is provided in three side,which should be in four side.

In view of above observation, the Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board has issued Show Cause Direction under section-31 (A) of Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981 to the Unit M/s Krishna Associate, Daulatpur-Hazaratpur, Budhavashahid, Tehsil- Bhagwanpur, Distric-Haridwar, as why

Scanned by CamScanner

the unit not be issued closure order under the provision of above act and why environment compensation will not be imposed on unit. The copy of the show cause notice is annexure at Annexure 02

The joint inspection report forwarded by Regional Office, UEPPCB, Roorkee reported that, the District Magistrate, Haridwar has already, imposed penalty of Rs. 8,17,540/- (Eight Lakh Seventeen Thousand Five hundred forty only.) on 13-05-2019 and Rs. 10,76,260/- (Ten Lakh Seventy Six Thousand two hundred sixty only) on dated 26-09-2019 for illegal mining. The copy of the Joint inspection report is annexured at Annexure-03

Scanned by CamScanner

Annexure 01

Inspection Report of M/S Krishna Associate, Daulatpur-Hazaratpur, Budhavashahid, Tehsil-Bhagwanpur, District Haridwar in compliance of order of the Hon'ble NGT in the matter of Original Application No.823/2019 Munna Singh Vs State of Uttarakhand.

As per directions of the Hon'ble NGT on dated 20.09.2019, field inspection of **M/S Krishna Associate Daulatpur - Hazaratpur, Budhavashahid, Tehsil-Bhagwanpur & District Haridwar** was carried out on dated 19/10/2019. During the inspection, Unit representative Mr. Babali Rana, Partner was present. As per the field inspection and available records following observations were made:

1. Unit **M/S Krishna Associate** is located at Chak No. 712, Village-Daulatpur-Hazaratpur, Budhavashahid, Tehsil- Bhagawanpur, District - Haridwar.
2. Unit has obtained Consent to Operate / Authorization from the Board which is valid up to 31.03.2021.

3. **Manufacturing Process:**
   Unit is manufacturing Stone Grits & Sand of different sizes-30,000 MT/Month by the process of Crushing & Screening using Stone Boulder/sand as raw material. Major process equipment are Jaw Crusher, Rotapactor & Vibratory Screens.

4. **Inspection Observations:**

- Unit was not in operation at the time of inspection as unit was in maintenance.
- Following discrepancies were observed in respect of pollution control measures stipulated under CCA issued by the Board & conditioned stipulated under the Environment (Protection) Rules, 1986 as mended:-

Sr. No.	Stipulated Pollution control measures	Compliance Status
1.	Dust containment cum suppression system for the equipment	Water sprinklers are found on Conveyor Belts but not installed on Crushing equipment's. Crushing & Screening equipment's were not under covered shed.
2.	Construction of wind breaking walls.	Wind Breaking Wall on Two sides was found. However wind breaking walls are not adequate.
3.	Construction of the metaled roads within the premises.	Not Provided.
4.	Regular cleaning and wetting of the ground within the premises	No facility was available.
5.	Growing of a green belt along the periphery.	Single raw plantation was observed on 3 sides. Need to be improved.

Contd..... Page-2

2/10 [signature]

Scanned by CamScanner

Considering the above facts, it is clearly indicated that the Unit is not complied with conditions of CCA and provisions as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 as amended.

5. **Recommendations:**

Based on above observations, it is recommended to issue directions to the Unit under the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time.

Inspection report submitted along with enclosures & photographs for kind perusal and further action please.

(Sunil Kumar)
Asstt. Environment Engineer

(Dr. Rajendra Singh)
Regional Officer (I/c)

Scanned by CamScanner

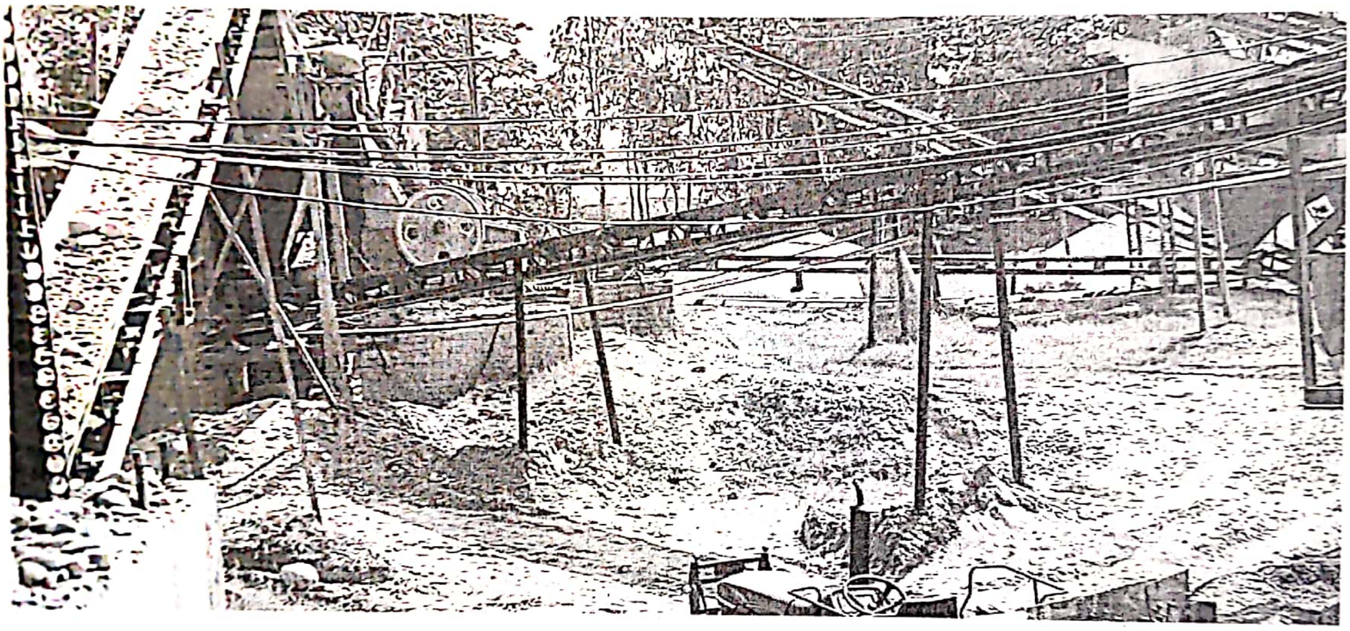

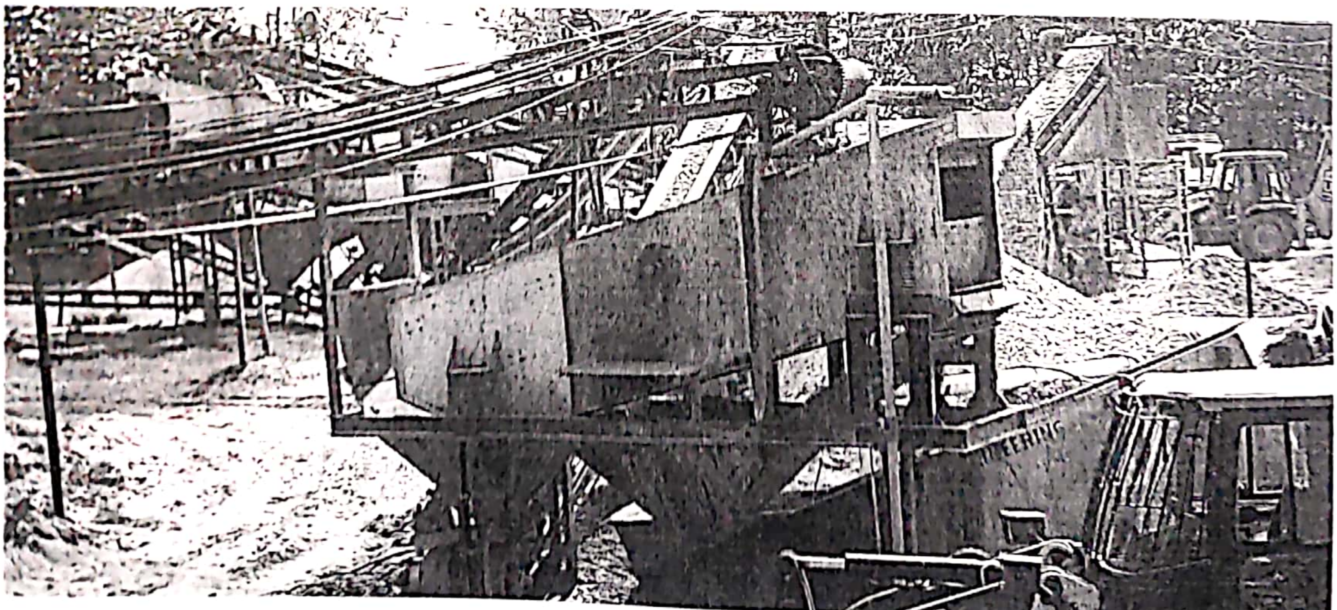

M/S Krishna Associates, Daulatpur- Hazratpur.

Scanned by CamScanner

Annexue 02

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION & POLLUTION CONTROL BOARD

HEAD OFFICE

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

UEPPCB/HO/ Gen-1831 /2019/ 1554 432

Date: 04.1.2020

Speed Post

To,

M/s Krishna Associate
Daulatpur – Hazaratpur,
Budhavashahid, Tehsil- Bhagwanpur,
Distt- Haridwar.

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981.

WHEREAS, the **Central Government** has made the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** and **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;** and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/processes is required to obtain consent to establish and consent to operate from the **State Pollution Control Board; and**

WHEREAS, as per **Section-25** of the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974,** and **Section-21** of **the Air (Prevention and Control of Pollution Act, 1981** as amended, it is the mandatory requirement for any industry plant, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land; to obtain prior Consent from the Board; and

WHEREAS, for the purposes of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge of environmental pollutants from the industries, operations or processes, have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industries, operations or processes to keep their effluent quality within the specified norms; and

WHEREAS, inspection of Unit was carried out by the officials of **Regional Office, Roorkee** of this **Board** on dated 19.10.2019 and made following observations :-

1. During inspection, Unit was not found in operation as unit was in maintenance.
2. Water sprinklers are found on conveyor belts but not installed on crushing equipments. Crushing & Screening equipments were not under covered shed.
3. Wind breaking wall on two sides was found. However wind breaking wall are not adequate.
4. Unit has not provided metalled roads within the premises.
5. Unit has not provided any facility for cleaning and wetting of the ground within the premises.
6. During inspection, only single raw plantation was observed on 3 sides, which needs to be improved.

AS SUCH, it is evident from the above observations that the unit has violated the provisions of **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981,** as amended thereafter and conditions of consent to operate issued by the **Board.**

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred under **Section 31(A)** of the **Air (Prevention and Control of Pollution), Act-1981** and as amended with approval of the competent authority of the Board, notice is hereby served to the Unit to **Show Cause** within 30 days of time from issue of this notice to the undersigned, why the Unit not be closed down under the provisions of above Acts and concerned Authorities be directed to discontinue your power and water supply and also why Environmental Compensation will not be imposed to Unit.

(S.P.Subudhi)
Member Secretary.

...Cont..page-2

Scanned by CamScanner

Copy to :-

1. **Program Manager, SPMG, NGRBA, 117, Indira Nagar, Dehradun** for kind information please.
2. **Regional Officer, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, Roorkee** for information and necessary compliance.
3. Guard File.

Member Secretary

Scanned by CamScanner

Annexure 03

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0-823/2019, मुन्ना सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 20.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0-823/2019, मुन्ना सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 20.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मै0 कृष्णा एसोसियेटस (मै0 कृष्णा स्टोन केशर), दौलतपुर हजरतपुर, बुधवाशहीद, थाना बुग्गावाला, तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 06.11.2019 एवं 07.11.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थेः-

1. डा0 दीपक हुरवाल उपनिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला-हरिद्वार।
2. श्रीमती सुशीला कोठ्यिाल, तहसीलदार, तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार।
3. डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, रूड़की, जिला-हरिद्वार।
4. श्री सुनील कुमार, सहा0 पर्या0 अभियंता, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की, जिला-हरिद्वार।

विषयगत उद्योग स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 06.11.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग मै0 कृष्णा एसोसियेटस (मै0 कृष्णा स्टोन केशर), दौलतपुर हजरतपुर, बुधवाशहीद, थाना बुग्गावाला, तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में खनन के गढ़डे पाये गये। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बबली राणा द्वारा अवगत कराया गया कि उप खनिज के अवैध खनन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा पैमाइस कर पैनाल्टी आरोपित की गई है। निरीक्षण के समय प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 11.01.2019 एवं दिनांक 16.02.2019 को उद्योग द्वारा किये गये अवैध खनन की पैमाइस की गई जो कमशः 802 घन मी0 एवं 1138 घन मी0 मापी गई। निरीक्षण के समय उद्योग के पूर्वी एवं दक्षिणी किनारों पर खनन की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अपने पत्र सं0- 564/खनन सहा0/2018-19 दिनांक 13.05.2019 द्वारा 802 घन मी0 उप खनिज के अवैध खनन किये जाने के कारण रू0- 8,17,540/- (आठ लाख सतरह हजार पांच सौ चालीस मात्र) की पैनाल्टी तथा अपने पत्र सं0- 1145/खनन सहा0/2019 दिनांक 26.09.2019 द्वारा 1138 घन मी0 आर0बी0एम0 के अवैध खनन के कारण कुल रू0- 10,76,260/- (दस लाख छियत्तर हजार दौ सौ साठ मात्र) की पैनाल्टी आरोपित की गयी है। संलग्नक-(1) एवं (2)। उक्त पैनाल्टी आदेशों की पुष्टि उद्योग के संचालक श्री बबली राणा द्वारा की गई। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री मुन्ना सिंह से सम्पर्क नही हो पाया था। अतः संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा पुनः दिनांक 07.11.2019 को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में निरीक्षण का निर्णय लिया गया।

दिनांक 07.11.2019 को निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री मुन्ना सिंह उपस्थित थे। श्री मुन्ना सिंह द्वारा विषयगत शिकायत के सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की गयी, जिस कारण विषयगत प्रकरण में की गयी शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई। तथापि संयुक्त टीम का अभिमत है कि चूंकि उद्योग द्वारा पूर्व में उद्योग के पूर्वी एवं दक्षिणी किनारों में उपखनिज का अवैध खनन किया गया, जिसके कारण उद्योग पर कमशः रू0- 8,17,540/- (आठ लाख सतरह हजार पांच सौ चालीस मात्र) एवं रू0-10,76,260/- (दस लाख छियत्तर हजार दौ सौ साठ मात्र) की पैनाल्टी आरोपित की जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उप खनिज का अवैध खनन किया गया।

कमशः पृष्ठ सं0-2

राजेन्द्र

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

अतः उचित होगा की उद्योग के संचालक श्री बबली राणा पुत्र श्री इलम सिंह, निवासी बंजारेवाला, तहसील भगवानुर, जिला-हरिद्वार के विरूद्ध जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2019 एवं 26.09.2019 के क्रम में क्रमशः 802 घन मी0 एवं 1138 घन मी0 उप खनिज के अवैध खनन के कारण नियमानुसार अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती आरोपित की जाये तथा उद्योग को भविष्य में अवैध खनन न किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि स्टोन क्रेशर में पर्यावरणीय मानको के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 19.10.2019 को निरीक्षण किया गया। उद्योग में पर्यावरणीय मानको के अनुपालन हेतु निर्धारित व्यवस्था नही पायी गयी, जिसके कारण उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति दिनांक 25.10.2019 बोर्ड मुख्यालय प्रेषित् की जा चुकी है।

निरीक्षण आख्या प्रस्तुत है।

(श्री सुनील कुमार)	(डा0 राजेन्द्र सिंह)	(सुशीला कोठियाल)	(डा0 दीपक हट्वाल)
सहा0 पर्या0 अभियंता	क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)	तहसीलदार,	उपनिदेशक,
यू0ई0पी0पी0सी0बी0	यू0ई0पी0पी0सी0बी0	तहसील भगवानपुर,	भूतत्व एवं खनिकर्म
रुड़की।	रुड़की।	जिला-हरिद्वार।	इकाई, जिला-हरिद्वार।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

संख्याः– 564 /खनन सहा0/2018–19

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

दिनांकः– 13-5-19 ~~अप्रैल, 2019~~

आदेश

प्रवन्धक/स्वामी,
मै0 कृष्णा स्टोन केशर,
दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद,
तहसील व जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की आख्या संख्या–994/3/एस0टी0–उ0जि0अ0–2018–19 दिनांक 21.01.2019 के आधार पर आपके द्वारा स्टोन केशर परिसर के वाहर किये गये गड्ढे में से 802घनमीटर आर0वी0एम0 उपखनिज का अवैध खनन किये जाने के कारण अर्थदण्ड 2,00,000.00 तथा 802घनमीटर उपखनिज की प्रचलित रायल्टी का 5 गुना रूपये 6,17,540.00 कुल रू0 8,17,540.00 (रू0 आठ लाख सतरह हजार पांच सौ चालीस मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्रांक 163/खनन सहा0/2018 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा कारण वताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

उक्त कारण वताओ नोटिस के सम्बन्ध में उत्तरदाता ववली राणा द्वारा कृष्णा स्टोन केशर, दौलतपुर हजतरपुर उर्फ बुधवाशहीद, परगना व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार द्वारा दिनांक 01.03.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि स्टोन केशर से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण दर्शाया गड्ढा न करके प्रार्थी द्वारा गड्ढे के चारो ओर मिट्टी को लगाया गया है ताकि गड्ढे में पानी को स्टोरेज कर पानी संरक्षित कर सके। अन्त में प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा अपने स्टोन केशर के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी भगवानपुर की आख्या संख्या–994/3/एस0टी0–उ0जि0अ0–2018–19 दिनांक 21.01.2019 के अनुसार स्थलीय निरीक्षण के समय स्टोन केशर परिसर के वाहर गढ्ढा पाया गया, जिनमें से कुल 802 घनमीटर आर0वी0एम0 का अवैध खनन किया गया हैं। उत्तरदाता का यह कथन कि स्टोन केशर पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उसके द्वारा गड्ढे के चारो ओर मिट्टी को लगाया गया है, जिसके समर्थन में उत्तरदाता द्वारा पानी संरक्षित किये जाने के फोटोग्राफ भी संलग्न किया गया है, निराधार है। जवकि उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की उक्त आख्या के साथ संलग्न फोटोग्राफ में पानी संरक्षित होता दर्शित नहीं हो रहा है। उत्तरदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता ने उप जिलाधिकारी भगवानपुर द्वारा आख्या प्रेषित किये जाने के उपरान्त उक्त गड्ढे में पानी भरा गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–1725/VII-I/16/158–ख/2004 दिनांक 13.11.2016 एवं उत्तराखण्ड (अनुकूलन एवं उपान्तरण) 2011 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) यथासंशोधित नियमावली 2016 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आप पर अर्थदण्ड रू0 2,00,000.00 तथा 792घनमीटर आर0वी0एम0 पर रायल्टी का 5 गुना 154 X 5 X 802 = 6,17,540.00 कुल रू0 8,17,540.00 (रू0 आठ लाख सतरह हजार पांच सौ चालीस मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपित धनराशि आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म एवं उद्योग, 102–खनिजों की रियायती फीस सम्बन्धी किराया और रायल्टी के अन्तर्गत प्राप्तियां में जमा कर चालान की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

(दीपक रावत)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– तहसीलदार भगवानपुर को इस निर्देश के साथ कि एक प्रति सम्बन्धित को तामील कराते हुए तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या:– 1145 /खनन सहा0/2019 दिनांक:– 26 सितम्बर, 2019

आदेश

प्रबन्धक/स्वामी,
मै0 कृष्णा स्टोन क्रेशर,
दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद,
तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की आख्या संख्या 1141/3/एस0टी0–उ0जि0अ0 दिनांक 05.03.2019 के आधार पर स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्टोन क्रेशर परिसर के बाहर पूर्वी व दक्षिण कोने में अवैध खनन किया गया एक गढढा पाया गया तथा गढ्ढे से 1138 घनमीटर उपखनिज आर0बी0एम0 अवैध रूप से उठाकर प्रयोग में लाये जाने पर आपको कार्यालय पत्रांक 526/खनन सहा0/2019 दिनांक–13.05.2019 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में आपके द्वारा लिखित उत्तर दिनांकित 07.06.2019 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि स्टोन क्रेशर द्वारा कही भी किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य नही किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की आख्या दिनांक 05.03.2019 एवं उप निदेशक, खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या दिनांक 29.03.2019 के अनुसार आपके परिसर के पूर्वी व दक्षिण कोने में अवैध खनन किया गया एक गढ्ढा पाया गया तथा गढ्ढे से 1138 घनमीटर उपखनिज आर0बी0एम0 अवैध रूप से उठाकर प्रयोग में लाया गया है, जिसकी पुष्टि आख्या साथ संलग्न स्थलीयं फोटोग्राफ्स से होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 के द्वारा शासनादेश संख्या–1725/VII-I/16/158–ख/2004 दिनांक 13.11.2016 एवं उत्तराखण्ड (अनुकूलन एवं उपान्तरण) 2011 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) यथासंशोधित नियमावली 2016 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 1138 घ0मी0 आर0बी0एम0 का अवैध खनन किये जाने के कारण आप पर अर्थदण्ड रू0 200000.00 तथा 1138 घनमीटर आर0बी0एम0 पर रायल्टी का 5 गुना 154 X 5 X 1138= 8,76,260.00 कुल रू0 10,76,260.00 (रू0 दस लाख छियहत्तर हजार दो सौ साठ मात्र) की धनराशि आरोपित की गई है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपित धनराशि आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म एवं उद्योग, 102–खनिजों की रियायती फीस सम्वन्धी किराया और रायल्टी के अन्तर्गत प्राप्तियां में जमा कर चालान की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

(कृष्ण कुमार मिश्र)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
हरिद्वार।

प्रतिलिपि–
1–तहसीलदार भगवानपुर को इस निर्देश के साथ कि एक प्रति सम्बन्धित को तामील कराते हुए तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2–उप निदेशक, खनन, भू0खनि0ई0, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner